लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
009/2026(सू.अ.) (GCMS 2026/22)	20-01-2026	11-02-2026

उनवान

श्री संजय कुमार जैन निवासी गोठी भवन, वार्ड नम्बर 08, रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 05.12.2025 को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां प्रस्तुत किया, प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में भी लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/ सरिश्ता/प्र.सं./009/2026(सू.अ.)(11.02)/53 दिनांक 21.01.2026 से अपील मेमो एवं आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये, प्रकरण में आगामी नियत दिनांक 11.02.2026 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 11.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक 11.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/आर.टी.आई./2026/140 दिनांक 30.01.2026 से टिप्पणी/कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री मिश्रीलाल जैन निवासी गोठी भवन, वार्ड नं. 08, तहसील रावतभाटा द्वारा दिनांक 15.01.2026 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के तहत अपील प्रस्तुत की गई इस संबंध में निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार), रावतभाटा को अन्तरित किया गया। जिस पर तहसीलदार, रावतभाटा द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई गई जिसकी छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.12.2025 से वांछित उसे सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा द्वारा जरिये पत्रांक सू.अ.अ./2025/1882 दिनांक 24.12.2025 से उपलब्ध कराई जा चुकी है।

चूंकि सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके पत्रांक सू.अ.अ./2025/1882 दिनांक 24.12.2025 से अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है जिससे हस्तगत अपील पर अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ तथा अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क प्रेषित की जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)